नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

हिंदी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना को महाराष्ट्र सरकार से अतिरिक्त यूनिट मंजूर

वर्धा, 6 जुलाई 2016 : महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अतिरिक्त यूनिट को मंजूरी दी है। इसके तहत सत्र 2016-17 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के 250 स्वयंसेवकों को प्रवेश दिया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तंत्र शिक्षण विभाग के शासन निर्णय के अनुसार रासेयो के नियमित कार्यक्रमों के लिए 250 और विशेष शिविर के लिए 125 विद्यार्थी संख्या निर्धारित की गयी है। रासेयो के संयोजक सहायक प्रोफेसर राजेश लेहकपुरे ने बताया कि इस वर्ष 250 विद्यार्थी अपना नामांकन रासेयो में कर सकेंगे जिसमें सामान्य श्रेणी के 200, अनुसूचित जाति के 28 और अनुसूचित जनजाति के 22 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। संबंधित आदेश भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अनुपालन में जारी किया गया है। इस आदेश के तहत महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए नियमित कार्यक्रमों के लिए तीन लाख सत्ताईस हजार सात सौ तथा विशेष शिविर के लिए 1,63,850 विद्यार्थी संख्या को मंजूरी प्रदान की है। विश्वविद्यालय को राज्य सरकार की ओर से राज्य संपर्क अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अतुल सालुंखे द्वारा निर्गत आदेश की प्रति हाल ही में प्राप्त हुई है। इसका कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र, प्रतिकुलपति प्रो. आनंद वर्धन शर्मा, कुलसचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुप्रिया पाठक, बी. एस. मिरगे ने स्वागत किया है।